स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स0वि0स0 द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्राधीन मध्य/उच्च/इंटर विद्यालयों एवं.महाविद्यालयों में पुस्तको को क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा की गयी है,तदालोक में पुस्तक क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित प्रकाशको/वितरकों/विक्रेताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय/ तकनीकी अलग– अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक–22.07.2017 को 03.00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय किशनगंज मे रजिस्टर्ड डाकं /कोरियर/या स्वयः अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दाखिल कर सकते है। उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में अपराह्न 4:30 बजें खोली जायेगी जिसमे निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। निविदा को किशनगंज जिला के वेबसाइट WWW.kishanganj.bih.nic.in पर भी देख सकते है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता मे सम्पन्न बैठक से अनुमोदित पुस्तकों की सूची कार्यालय अवधि में अपने निजी खर्च पर (छाया प्रति) प्राप्त कर सकते है।

निविदा की शर्तें:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत किया जाएगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
3. क्रय की जानेवाली पुस्तको के टाईटिल पृष्ठ एवं मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्त्तन/संशोघन मान्य नहीं होगा।
4. बाल साहित्य के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 60 पृष्ठ से कम रहने पर मान्य नहीं होगा।
5. क्षतिग्रस्त अथवा न्यूजप्रिन्ट पर छपी पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगीं।
6. प्रत्येक पुस्तक अधिमानता आई0एस0बी0एन0 मानक के साथ ही स्वीकार की जाएगी।
7. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगीं।
8. नमूने के रूप मे प्रस्तुत पुस्तकों मे निम्नांकित सूचनाएँ निश्चित रूप से अंकित की जाएगीं।–

क्रमांक	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम एवं पुरा पता	प्रकाशक का नाम एंव पुरा पता	विषय	प्रकाशन वर्ष	पृष्ठ संख्या	साजिल्द/अजिल्द एवं मूल्य मुर्द्रित

9. तीन वर्षो का आयकर, बिक्रीकर का अद्यतन प्रमाण पत्र, रिर्टन एवं पैन नम्बर की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
10. निविदा के साथ 30,000.00 (तीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफट (जमानत की राशि) अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी जो जिला योजना पदाधिकारी,किशनगंज के पदनाम से होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र–देना होगा।
12. आपूर्तिकर्त्ता को संबंधित प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की आपूर्ति का प्राधिकार पत्र जमा करना पड़ेगा।
13. विगत वर्षो से सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों में पुस्तक आपूर्ति करने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

14. गुणवत्ता के लिए आई0एस0ओ0 का प्रमाण पत्र प्राप्त निविदादाता को देना अनिवार्य होगा।

15. पुस्तकों के क्रय हेतु छुट की निम्नांकित न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैः–

क	1 से 10 प्रतियाँ पर	10 प्रतिशत
ख	11 से 25 प्रतियाँ पर	15 प्रतिशत
ग	26 से 100 प्रतियाँ पर	20 प्रतिशत
घ	101 से 200 प्रतियाँ पर	25 प्रतिशत
ड़	201 से 500 प्रतियाँ पर	30 प्रतिशत
च	501 से ऊपर प्रतियाँ	35 प्रतिशत

प्रकाशन/ आपूर्तिकर्त्ता उपर्युक्त निर्धारित छूट या उससे अधिक देना चाहे तो स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि कितनी छूट दे सकते है।

16. निविदादाताओं को पिछले तीन वर्षो में औसतन टर्नओमर 50.00 (पचास लाख) या, अधिक होना आवश्यक होगा। जिसका प्रमाण–पत्र /साक्ष्य देना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त्तेः–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली सभी पुस्तकों पर छुट की दर प्रतिशत में अंकित करेगें।

(ग) सामान्य शर्तेः–

1. जिनकी निविदा के लिफाफे स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पुस्तक आपूर्ति संबंधित शैक्षणिक संस्थानों में पहुचाकर करनी होगी। आपूर्तिकर्ता को अलग से परिवहन एवं मजदुरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही ट्रासपोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी। निविदादाता को किसी प्रकार का आग्रिम देय नहीं होगा।

2. प्रत्येक पुस्तक पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

3. तकनीकी निविदा में असफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

4. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रदद करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

5. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र किशनगंज होगा।

6. चयनित आपूतिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार श्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।

23/06/17

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।